

234

न्यायालय श्री मानेरा राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश स्व. लियर ४०५०

358



Rs. 20/-

श्री विजय कृष्ण मिश्र
दास आज दिनांक ३१-१२-१३ के
पंसुत किया गया।

सर्किट कोर्ट रीवा
दददन प्रसाद तनय गोविन्द प्रसाद मिश्र उम्र 74 वर्ष पेशा खेनी

निवासी ग्राम दादर तहसील मझौली उपनहसील मछवास जिला लीधी

रुम ५०५०/- ----- आवेदक/निगरानी कर्ता

बनाम

१. धर्मदास गुप्ता तनय बितानी गुप्ता उम्र 28 वर्ष पेशा खेनी

निवासी ग्राम दादर तहसील मझौली उपनहसील मछवास जिला
लीधी रुम ५०५०/-

२. म०प्र० शातन

----- अवावेदकगण

निगरानी याचिका विस्त्र कार्यवाही एवं
आवेदा न्यायालय श्री मानेरा तहसील दार महोदय
उपनहसील मछवास तहसील मझौली जिला लीधी
के राजस्व प्रकरण इमांक 48/अ-12/12-13 में
पारित आवेदा दिनांक 16-7-13 जिसके हारा
नितान्त अवैधा निक तरीके से सीमांकन की
कार्यवाही की पूष्टि की गयी है।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता 1959,

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्न आधारों पर यह निगरानी
याचिका प्रस्तुत है :-

१. यह कि कार्यवाही एवं आवेदा अधीनस्थ न्यायालय तहसील दार
महोदय उपनहसील मछवास तहसील मझौली जिला लीधी विधि प्रक्रिया

30-12-13

234

(2x)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.634.पा।।५

जिला सीकंड

ददन पुस्तां रमेश विरुद्ध अमदास गुरुता

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री केंद्रीय लिंग अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील अदालत के प्रकरण क्रमांक ५८/३.१२.१२.१३ में पारित आदेश दिनांक १६.३.१३ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीकंड के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २९-३-१९ को कलेक्टर सीकंड के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

य
ो

महोदय उपराज्यील मध्यात्म तहसील मझौली ज़िला तीधी विधि प्रक्रिया

३०-१२-१३

11211